इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2018—वैशाख 7, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 13 अप्रैल 2018

क्र.-जिशविअ-सीमावृद्धि-2018-511.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ-1-40-2017-अठारह-3, दिनांक 23 सितम्बर 2017 से प्राप्त अनुमति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05-क अन्तर्गत नगर परिषद् सैलाना, जिला रतलाम की सीमाओं के भीतर निम्नानुसार दर्शाये गए क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय एतद्द्वारा प्रकट किया जाता है.

सारणी क्रमांक 01, वर्तमान सीमा—

(अ) उत्तर से दक्षिण
करिया रोड पर चर्मकार बस्ती की सीध से लेकर हनुमान सागर तालाब की पाल खांकी बावजी की कुईया तक.

(ब) पूर्व से पश्चिम
गोधुलिया हनुमान मंदिर से हाथीखाना तक.

सारणी क्रमांक 02, प्रस्तावित सीमा वृद्धि क्षेत्र—

नगर परिषद् सैलाना, जिला रतलाम द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 09, दिनांक 25 नवम्बर 2017 अनुसार उक्त प्रस्तावित सीमा अन्तर्गत निम्नवत क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना है.

(अ) नाका हाथीखाना से पूर्व से पश्चिम की ओर रतलाम-बासवाड़ा मार्ग पर स्थित आदिवासी व चर्मकार बस्ती, हाउसिंग बोर्ड कालोनी व इनके साथ लगी अन्य आवासीय बस्ती को सम्मिलित करते हुए चारेल पेट्रोल पंप तक.

(ब) चारेल पेट्रोल पंप रतलाम-बांसवाड़ा मार्ग पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्राथ. विद्यालय जुनावास, नुतन माध्यमिक विद्यालय तथा बी.आर.सी. भवन व पशु हाट स्थल को सम्मिलित करते हुए हाथीखाना तक.

उक्त वर्णित प्रस्तावित सीमावृद्धि क्षेत्र के संबंध में प्रकाशित इस सूचना की तिथि के 30 (तीस) दिवस के भीतर कोई भी नागरिक अपनी आपत्ति या सुझाव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड सैलाना के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसे इनके द्वारा अधोहस्ताकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.

रूचिका चौहान, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.